रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19112024-258738
CG-DL-E-19112024-258738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4594] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 19, 2024/कार्तिक 28, 1946
No. 4594] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 19, 2024/KARTIKA 28, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2024

का.आ. 4982(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, इस अधिसूचना की अनुसूची में निर्दिष्ट 'जिला विधिक सेवा प्राधिकरण' को, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39, 1987) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य के प्रत्येक जिले के लिए हरियाणा सरकार द्वारा गठित, उस निकाय को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में 'निकाय के वर्ग' के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजन के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, केन्द्रीय प्राधिकरण यानी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य प्राधिकरण यानी हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त अनुदान;

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार या हरियाणा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान या दान;

(ग) न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत प्राप्त राशि;

(घ) भर्ती आवेदन शुल्क के रूप में प्राप्त शुल्क; तथा

(ङ) बैंक जमा पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण –

(क) किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा;

(ख) गतिविधियाँ और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्षों में अपरिवर्तित रहेंगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उप-धारा (4 ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना क्रमश: वित्तीय वर्षों 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 एवं 2027-2028 से संगत निर्धारण वर्षों 2024-2025, 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए लागू मानी जाएगी।

अनुसूची

क्र.सं. **(1)**	**प्राधिकरण का नाम** **(2)**	**पैन** **(3)**
1	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिसार	AABAD3836H
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, भिवानी	AAAGD0034Q
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कुरूक्षेत्र	AAALD1049C
4	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पलवल	AAAJC0822A

[अधिसूचना सं. 119 /2024/फा. सं. 300196/64/2018-आईटीए-I (पार्ट-1)]

अश्वनी कुमार, अवर सचिव